2018/00197

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 38 / 2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

गुंशी शहजाद पुत्र स्व0 नाथू खां, अल्ला वेली, बाबू खां पुत्र मस्ताना पुत्री हमीदा पत्नि स्व0 मोहम्मद हुसैन, सादिक (नाबा0) पुत्र शानू पुत्री मुमताज पत्नी वहीद, लियाकत, मन्सूर अली, मुश्ताक अली पुत्रान शमीना पुत्री, हुसैनी बानो पत्नी जोहर अली, यासीन मोहम्मद कलीमर पुत्र दिलशेर, खतीजा, जरीना, हसीना, मासूम मदिना पुत्रीयां जयलाल, मोतीलाल पुत्र नाथू व प्यारी बाई बेवा नाथू जाति लश्करी सा0 भीमपुरा (केथून) तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– श्री अतुल वशिष्ठ (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 27.08.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बावत प्रस्तुत किया है कि ग्राम भीमपुरा (केथून) तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 148 हाल खसरा नम्बर 841 रकबा 0.20 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 219 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम (केथून) तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी/ अथवा नामा0 सं0 112 दिनांक 24.08.71 से आराजी ख0 नं0 148 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536 / 03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0 / 6 / 01 / पार्ट 17 / दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 219 सम्वत् 2073–2076 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री अतुलल वशिष्ठ एड0 द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण का कथन है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खं0 नं0 841 रकबा 0.20 हेक्टयर वाके ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के प्रतिपक्षीगण खातेदार के विरूद्व न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण उक्त ख0 नं0 841 रकवा 0.20 हे0 के वर्तमान मे खातेदार है और उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है । पूर्व से ही उक्त भूमि अप्राथीगण के खातेदारी मे चली आ रही है । अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत कार्यवाही पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने योग्य है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे यह कही भी अंकित नही किया कि विवादग्रस्त आराजी के आवंटन आदेश की तिथि को भूमि की किस्म क्या थी और भूमि की किस्म किस आदेश सो परिवर्तित की गई । ऐसा कोई दस्तावे रेफरेन्स के साथ तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत नही किया है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी/गैर खातेदारी कब और किसके आदेश से दी गई ऐसा कोई दस्तावेज प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया गया है । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पूर्व में भी उक्त विवादित आराजी खं0 नं0. 841 रकबा 0.20 हैक्टर पूर्व ख0 नं0 148 रकबा 1 बीधा 10 विस्वा भूमि का रेफरेन्स का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2017 को खारिज फरमा दिया गया । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रा0 पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के खसरा नम्बर 148 हाल खसरा नम्बर 841 रकबा 0.20 हैक्टयर जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक में खाता नम्बर 219 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी/ अथवा नामा0 सं0 112 दि0 24.08.71 से आराजी ख0 नं0 148 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 219 सम्वत् 2073–2076 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तलाई पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा